International Journal for Multidisciplinary Research (IJFMR)
E-ISSN: 2582-2160 ● Website: www.ijfmr.com ● Email: editor@ijfmr.com

स्त्रियों की सुरक्षा एवं संरक्षा: विषय, कानून, नीतियाँ और सुझाव (नारी सशक्तिकरण)

Safety and Security of Women: Issues, Laws, Policies and Suggestions (Women Empowerment)

Anil Kumar Singh Kushwaha

Assistant Professor, Jagdishpur, Bhimapar, Ghazipur, UP, PIN-233307 (M.A.-Geography, Philosophy, M.Ed., NET-Geography & Education)

शोध-सार

भारत में भी महिला सुरक्षा एवं संरक्षा पर प्राचीन काल से ही प्रश्न उठते रहे है। इसके अनेक उदाहरण रामायण और महाभारत काल में भी पाया जाता है। यह मुद्दा अति संवेदनशील है। परन्तु इसे पूर्णतया सही नहीं कहा जा सकता है क्योंकि कुछ एसे भी समाज पाये जाते है जो मातृसत्तात्मक होते है जैसे भारत में पूर्वोत्तर की खासी व कुछ अन्य जनजातियो में मातृसत्तात्मक समाज की अवधारणा पायी जाती है। विश्व में भी कुछ एसी जनजातियाँ है जैसे-कोस्टारिका की ब्रिबी जनजाति, चीन की मोसुओ, न्यू गुयाना की नागोविसी जनजाति में मातृसत्तात्मक समाज पाया जाता है। स्त्रियों के प्रति अनेक घटनाएँ घटी जैसे-27 नवम्बर 1973 में रात्रि के समय किंग एडवर्ड अस्पताल, परेल, मुंबई, महाराष्ट्र की एक महत्वपूर्ण घटना है जो सामने आयी। उस अस्पताल में कार्य करने वाली जूनियर नर्स अरूणा रामचंद्र शानबाग की जिंदगी अकल्पनीय भयानक रात थी, क्यों की उसके बाद अरूणा शानबाग (लगभग 42 वर्ष) जीवित रहने के बाद भी उसकी कोई सुबह नहीं हुई। पिछले वर्ष 2024 में 9 अगस्त को पश्चिम बंगाल के कोलकाता स्थित R.G.Kar हास्पिटल में 31 वर्षीय महिला इंटर्न शीप की डाक्टर, लगभग 36 घंटे की लगातार की सेवा के बाद सो रही थी, उसके साथ बल पूर्वक शीलभंग तथा उसके आतंरिक पार्ट पर गंभीर चोट पहुचने के उपरांत उसके गले को दबा कर हत्या कर दिया गया है। महिला हिंसा को रोकने के अनेक एक्ट लाये जैसे-हिन्दू विडो रिमैरिज एक्ट 1856, I.P.C. 1860, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1861, मैरिड विमेन प्रापर्टी एक्ट 1874 (समय-समय पर संशोधन होता रहा है), चाइल्ड मैरिज एक्ट 1929, स्पेशल मैरिज एक्ट 1954, हिन्दू मैरिज एक्ट 1955, फारेन मैरिज एक्ट 1969, इन्डियन डाइवोर्स एक्ट 1969, मुस्लिम वुमन प्रोटेक्शन एक्ट 1986, सेक्सुअल हर्रास्मेंट ऑफ़ वुमन एट वर्किंग वुमन एक्ट 2013 आदि। परन्तु हम आज भी इस हिंसा से निपटने में असमर्थ है, इस भयानक स्थिति से निपटने के लिए कानून के साथ-साथ अपने परिवार के बच्चों में बालिकाओं के साथ सभी के प्रति सम्मान करना सिखाना चाहिए। बच्चों को परिवार, समाज तथा स्कूलों में यह बताना जरूरी है कि महिलाए मात्र भोग-विलास की वस्तु नहीं है बल्कि उन्हें बराबरी का अधिकार तथा सर उठा कर सम्मान से जीने का अधिकार हैं। महिलाओं के प्रति हिंसा को रोकने के लिए बहुत ही कठोर कानून तथा उसके कठोर क्रियान्वयन की आवश्यकता है।

मुख्य-शब्द: स्त्रियों की सुरक्षा, संवैधानिक प्रावधान, नीतियाँ, मानवीकरण, नैतिक मूल्य, महिला हिंसा।

1. प्रस्तावना

भारत में भी महिला सुरक्षा एवं संरक्षा पर प्राचीन काल से ही प्रश्न उठते रहे है। इसके अनेक उदाहरण रामायण और महाभारत काल में भी पाया जाता है। यह मुद्दा अति संवेदनशील है। प्राचीन काल से हमारा समाज पित्रसत्तात्मक अर्थात पुरूष प्रधान समाज की अवधारणा का पाया जाना था। क्योंकि इस समाज में पुरुषो को कुछ अतिरिक्त शक्तिया प्राप्त था जैसे –

- घूमने फिरने की आज़ादी
- परिवार का मुखिया रहना
- सभी प्रकार का निर्णय का अधिकार
- संपत्ति पर अधिकार
- वंश को अपने नाम से चलाना
- परिवार को सुरक्षा प्रदान करना
- परिवार का भरण-पोषण करना

आदि प्राप्त होता है। परन्तु इसे पूर्णतया सही नहीं कहा जा सकता है क्योंकि कुछ एसे भी समाज पाये जाते है जो मातृसत्तात्मक होते है जैसे भारत में पूर्वोत्तर की खासी व कुछ अन्य जनजातियो में मातृसत्तात्मक समाज की अवधारणा पायी जाती है। विश्व में भी कुछ एसी जनजातियाँ है जैसे- कोस्टारिका की ब्रिबी जनजाति, चीन की मोसुओ, न्यू गुयाना की नागोविसी जनजाति में मातृसत्तात्मक समाज पाया जाता है। यहाँ महिलाए ही राजनीति, अर्थव्यवस्था और सामाजिक क्रिया-कलापों से जुड़े निर्णय लेती है। परन्तु यहाँ पर भी महिला सुरक्षा का समस्या पाया जाता है।

भारत में प्राचीन काल से ही महिलाओं (कुछ घटनाओं को छोड़ कर जैसे-सीता, सुपन्खा और द्रोपति आदि) को समाज में विशिष्ट आदर एवं सम्मान दिया जाता रहा है। भारत ऐसा देश है जहाँ महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान का खास ख्याल रखा जाता है। भारतीय संस्कृति में महिलाओं को देवी का दर्जा दिया गया है। अगर आज के युग की बात की जाए तो महिलाएं हर क्षेत्र में पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही है। लेकिन फिर भी महिला सुरक्षा देश में एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। तो आइये हम समझने का प्रयास करते है कि ऐसा क्यों है- आज के वर्त्तमान समय में विश्व के अनेक देशो में अनेक ऐसी अप्रिय घटनाये घट रही है जिन्हें नहीं घटना चाहिए। इन्ही अप्रिय घटनाओं के कारण आज के हमारे समाज में महिला सुरक्षा एक अति महत्वपूर्ण संवेदनशील मुद्दा बना हुआ है। वर्तमान समय में स्त्री की सुरक्षा मात्र समाज की एक आवश्यकता नहीं है, यद्यपि महिला सुरक्षा एवं संरक्षा स्त्रियों का एक अधिकार है। जो भारत में प्राचीन सनातन से लेकर वर्तमान में संवैधानिक रूप से महिला को प्रदान किया गया है। साथ ही हमारा संविधान महिलाओं को सम्मान, समानता तथा अपनी भावना के साथ जीने का अधिकार प्रदत्त करता है। देश में अनेक ऐसी घटनाये आज आम हो गयी है, जिससे महिला सुरक्षा और संरक्षा को लेकर अनेक प्रश्न उठाये जाने लगे है।

2. स्त्रियों के ऊपर किये गए कुछ प्रमुख घटनाये-

किसी भी दिन का न्यूज अथवा समाचार-पत्र ऐसा नहीं होता कि जिस दिन महिला के साथ अव्यवहारिक कार्य अथवा शीलभंग की खबरे न आती हो। इन्हें रोकना तो दूर परम्परागत व्यवस्था से इसे कम तक नहीं किया जा रहा है। साथ ही बड़ी आसानी से कह दिया जाता है कि "महिला स्वयं के प्रति अव्यवहारिक घटना के लिए जिम्मेदार है" ऐसा तमाम राजनीतिक पदों पर प्रतिष्ठित व्यक्तियों द्वारा कथन दिये जाते है तथा शरारती तत्वों को प्रश्रय भी प्रदान करते है। जिसके परिणाम स्वरूप अनेक शरारती तत्वों में उत्साह का संचार हो जाता है और वे महिलाओं के प्रति अनेक अव्यवहारिक क्रियाये करते है। जिससे स्त्रियों के प्रति अपराध में लगातार वृद्धि हो रही है। वास्तव में देखा जाय तो महिलाओं के प्रति जो अपराध हो रहे है, उसके पीछे उस महिला की गलती नहीं होती हमारे समाज की निकृष्ट सोच कार्य करती है। देश में अनेको ऐसे केस देखे गए है जिनका उल्लेख करना आवश्यक है, जो निम्नलिखित है-

केस.-1. 27 नवम्बर 1973 में रात्रि के समय किंग एडवर्ड अस्पताल, परेल, मुंबई, महाराष्ट्र की एक महत्वपूर्ण घटना है जो सामने आयी। उस अस्पताल में कार्य करने वाली जूनियर नर्स अरूणा रामचंद्र शानबाग की जिंदगी अकल्पनीय भयानक रात थी, क्यों की उसके बाद अरूणा शानबाग (लगभग 42 वर्ष) जीवित रहने के बाद भी उसकी कोई सुबह नहीं हुई। रात्रि शिफ्ट के दौरान एक स्वीपर सोहनलाल भरथा वाल्मीकि ने न केवल उसके से साथ अव्यवहारिक कार्य किया बल्कि कुत्ते की चेन से उनका गला को घोट कर रखा जिससे वह कोमा (वानस्पतिक अवस्था) में चली गयी। इस भयानक अमनाविकृत कार्य के लिए सोहनलाल भरथा वाल्मीकि को भारती दंड संहिता के आधार तथा सबूत व गवाह के आधार पर कोर्ट ने मात्र सात वर्ष की मात्र सजा सुनायी, जबकि दूसरी तरफ पीडिता को लगभग 42 वर्षो तक सजा भोगना पड़ा। जेल से छूटने के बाद

सोहनलाल भरथा वाल्मीकि ने अपनी सामान्य जीवन शैली को पुनः प्रारंभ कर अपना परिवार बसा लिया। लेकिन दूसरी तरफ अरूणा रामचंद्र शानबाग को सामान्य जीवन नसीब नहीं हो सका और इस प्रकार दुःख लड़ते हुए 18 मई 2015 वानस्पतिक अवस्था में निमोनिया के कारण उसकी मृत्यु हो गयी।[4] इसी केस के अंतर्गत 24 जनवरी 2011 अरूणा शानबाग की इसी अवस्था में रहने के बाद एक पत्रकार पिंकी विरानी द्वारा भारत के सर्वोच्य न्यायालय में दायर इच्छामृत्यु के लिए एक अपील का जवाब दिया, जिसमें अरूणा शानबाग की जांच के लिए एक मेडिकल के डाक्टरों का एक पैनल गठित किया गया था। सर्वोच्च न्यायालय ने 7 मार्च 2011 को इच्छामृत्यु की अपील को निरस्त कर दिया। यद्यपि कोर्ट में ऐतिहासिक रूप में भारत में निष्क्रिय इच्छामृत्यु की अनुमति प्रदान की।[5]

टिप्पणी- इस केस के वाद सरकारों तथा हमारे समाज ने कुछ भी नहीं सीख सका, क्यों की इस घटना के बाद भी अनेक घटनाये लगातार होती रही हैं।

केस.- 2. इसी प्रकार दिनांक 16 दिसम्बर 2012 दिल्ली की वह रात एक महिला अपने दोस्तों के साथ दिल्ली की एक बस में सफर कर रही थी। बस ड्राइवर सहित कुछ लोगों ने महिला तथा महिला के दोस्तों के साथ मारपीट की और महिला के साथ जबरदस्ती शीलभंग किया। साथ क्रूरता की पराकाष्ठा की हर सीमा को पार कर दिया। उस महिला के इंटर्नल पार्ट में व्हील जैक की रांड घुसाकर गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त किया था। उस महिला की मेडिकल हालात इतना गम्भीर थी कि उसे ईलाज के लिए 26 दिसम्बर 2012 को सिंगापुर ले जाया गया, परन्तु 29 दिसम्बर 2012 को उस महिला के जीवन की कहानी समाप्त हो गयी।[6] इस केस के एक आरोपी ने जेल में आत्महत्या कर लिया। न्यायालय की व्यवस्था के अंतर्गत काफी लम्बे समय इंतज़ार करने के बाद 20 मार्च 2020 को फांसी पर लटका दिया गया। यद्यपि एक अपराधी को नाबालिक बताते हुए तीन वर्ष के लिए बाल सुधार गृह में रखा गया।[7]

टिप्पणी- इस घटना के बाद भारत सरकार ने 2013 में महिला क़ानून में संशोधन कर के "निर्भया एक्ट" बनाया गया था। पहले के एक्ट के द्वारा जबरदस्ती अथवा असहमति से स्थापित किये गए संबंधो को ही शीलभंग के दायरे में लाया जाता था, यद्यपि इस संशोधन से महिला के पक्ष में क़ानून का विस्तार बढ़ाया गया।

केस.-3. पिछले वर्ष 2024 में 9 अगस्त को पश्चिम बंगाल के कोलकाता स्थित R.G.Kar हास्पिटल में 31 वर्षीय महिला इंटर्न शीप की डाक्टर, लगभग 36 घंटे की लगातार की सेवा के बाद सो रही थी, उसके साथ बल पूर्वक शीलभंग तथा उसके आतंरिक पार्ट पर गंभीर चोट पहुचने के उपरांत उसके गले को दबा कर हत्या कर दिया गया है। इस केस में राजनीति के अलावा अभी तक कोई ठोस कार्यवाही नहीं हो पायी है।

केस.-4. नवभारतटाइम.काम 22 फरवरी 2025 राजस्थान: अजमेर जिले के ब्यावर के विजयनगर में 12-15 युवको के एक गिरोह ने स्कूल में पढ़ने वाली नाबालिक छात्रओं के साथ यौन-शोषण, ब्लैकमेलिंग तथा धर्म स्थानान्तरण कराने का आपराधिक कृत किया है। इस मामले का खुलासा तब हुआ जब पीड़िता के घर वालों इस सम्बन्ध में पुलिस में शिकायत दर्ज किया। इसके तुरंत बाद पुलिस ने पांच लोगों को अरेस्ट कर लिया है। इस क्रिया में दो नाबालिकों को भी अरेस्ट किया गया। राजस्थान पुलिस ने POCSO एक्ट सहित कई धाराओं में F.I.R. दर्ज किया है, तथा आगे की जांच जारी है। यद्यपि उल्लेखनीय है अरेस्ट लोगों द्वारा यह बताया गया है कि एक युवती के धर्म परिवर्तन के लिए 5-20 लाख रूपये मिलते है। इस काण्ड की तुलना 1992 की अजमेर ब्लैकमेल की घटना जो किया जा रहा है, जिसमे भी स्कूल के नाबालिक बच्चियों को निशाना बनाया गया था।[8]

यह तो कूछ केस है इसके अतिरिक्त देश में रोज अनेकों घटनाए महिलाओं के प्रति हो रही है, बहुत सारे केस तो पुलिस तक पहुच ही नहीं पाता है। फिर भी प्रश्न यह है कि सरकार, समाज और शिक्षा के विकास से इन घटनाओं पर क्या प्रभाव पड़ रहा है? इन सब के बाद हर परिस्थिति में महिलाओं की ही कष्ट उठाना पड़ता है।

3. महिला सुरक्षा एवं संरक्षा हेतु किये गये कुछ प्रयास –

स्वामी विवेकानंद ने कहा था की पहले अपनी स्त्रियों को शिक्षा प्रदान करो, फिर उनसे पूछो की उन्हें क्या चाहिए। डा0 भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि "यदि किसी समाज की प्रगति के बारे में सही–सही जानना है तो उस समाज के स्त्रियों की स्थिति के बारे में जानो" । भारत में सर्वप्रथम महिला सुरक्षा एवं संरक्षा के प्रयास के रूप में 1919 से महिलाओं का निर्वाचन में भाग लेने के औवसर को माना जा सकता है। तथापि इसके पूर्व भी अनेक समाज सुधारको ने इस ओर ध्यानाकर्षण किया था यथा- पंडित रमाबाई (1858-1922ई.), बहिन सुब्बालक्ष्मी (1886-1969ई.),

गंगाबाई (महारानी तपस्विनी), ईश्वरचन्द्र विद्यासागर (1820-1891ई.), डी.के. कर्वे (1858-1962ई.), विष्णु शास्त्री पंडित, सावित्रीबाई फुले आदि ने महिला सम्मान के लिए अनेको कार्य किया।

हिन्दू विडो रिमैरिज एक्ट 1856, I.P.C. 1860, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1861, मैरिड विमेन प्रापर्टी एक्ट 1874 (समय-समय पर संशोधन होता रहा है), चाइल्ड मैरिज एक्ट 1929, स्पेशल मैरिज एक्ट 1954, हिन्दू मैरिज एक्ट 1955, फारेन मैरिज एक्ट 1969, इन्डियन डाइवोर्स एक्ट 1969, मुस्लिम वुमन प्रोटेक्शन एक्ट 1986, सेक्सुअल हर्रास्मेंट ऑफ़ वुमन एट वर्किंग वुमन एक्ट 2013 आदि।

इसके अलावा 7 मई 2015 को लोक सभा ने और 22 दिसम्बर 2015 को राज्य सभा ने जुवेनाइल जस्टिस बिल में भी बदलाव किया। (यह तब हुआ जब निर्भया जैसे केस में किशोर अपराधी के छुट जाने के बाद)।

संविधान के अनुच्छेद 14 में कानूनी समानता, अनुच्छेद 15 (3) में जाति, धर्म, लिंग एवं जन्म स्थान आदि के आधार पर भेदभाव न करना, अनुच्छेद 16 (1) में लोक सेवाओं में बिना भेदभाव के अवसर की समानता, अनुच्छेद 19 (1) में समान रूप से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 21 में स्त्री एवं पुरुष दोनों को प्राण एवं दैहिक स्वाधीनता से वंचित न करना, अनुच्छेद 23-24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार समान रूप से प्राप्त, अनुच्छेद 25-28 में धार्मिक स्वतंत्रता भारत के सभी लोगों को समान रूप से प्रदत्त, अनुच्छेद 29-30 में शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 39 (घ) में पुरुषों एवं स्त्रियों दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार, अनुच्छेद 40 में पंचायती राज्य संस्थाओं में 73वें और 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से आरक्षण की व्यवस्था, अनुच्छेद 41 में बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी और अन्य अनर्ह अभाव की दशाओं में सहायता पाने का अधिकार, अनुच्छेद 42 में महिलाओं हेतु प्रसूति सहायता प्राप्ति की व्यवस्था, अनुच्छेद 47 में पोषाहार, जीवन स्तर एवं लोक स्वास्थ्य में सुधार करना सरकार का दायित्व है, अनुच्छेद 51 (क) (ड) में भारत के सभी लोग ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हों, अनुच्छेद 33 (क) में प्रस्तावित 84वें संविधान संशोधन के जरिए लोकसभा में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था, अनुच्छेद 332 (क) में प्रस्तावित 84वें संविधान संशोधन के जरिए राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है।

4. उक्त प्रावधानों के बाद महिलाओं के प्रति होने वाले अपराध की स्थिति-

हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेन्द्र मोदी ने अपने 75वें जन्मदिन पर राष्ट्र के नाम संबोधन में कहाँ की हमें महिलाओं के प्रति "मानसिकता में बदलाव" की अपील किया था तथा नागरिकों से स्त्रियों के प्रति घृणा के विरूद्ध अपने विचारों से लड़ने को कहा था। प्रधानमंत्री ने यह भी सुझाव दिया कि "हमारे आचरण में विकृति आ गयी है तथा हम कई बार स्त्रियों का अपमान करते हैं। क्या हम अपने व्यवहार से इस विकृति को दूर करने का संकल्प ले सकते हैं।" प्रधानमंत्री ने लोगो से निवेदन किया कि "रोजमर्रा के जीवन में महिलाओं को अपमानित करने वाली हर चीज से छुटकारा पाने का संकल्प लें।[9]" ऐसे संकल्पित प्रधानमंत्री के होने के बाद भी हमारे देश में महिलाओं के प्रति अपराध की वर्तमान स्थिति अत्यंत दैयनीय है जिसको उक्त घटनाओं तथा निम्न आकड़ों के द्वारा महिलाओं की स्थिति को समझा जा सकता हैं। क्या ये उपरोक्त प्रावधान महिला को सुरक्षा प्रदान करने में सक्षम है ? हमारा उत्तर होगा नहीं क्योंकि यदि ये प्रावधान सक्षम होते तो आज हम यहाँ महिला सुरक्षा एवं संरक्षा पर अपने अंतर्मन व्यथा को नहीं लिख रहे होते। इन सुरक्षा प्रावधानों को इन आकड़ो से अच्छे से समझा जा सकता है –

1.Crime Against Women In 2022: साल 2022 में राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) को महिलाओं के खिलाफ हुए अपराधों की लगभग 31,000 शिकायतें मिलीं, जो 2014 के बाद सबसे अधिक हैं। 2021 में NCW को 30,864 शिकायतें मिली थीं जबकि 2022 में यह संख्या थोड़ी बढ़कर 30,957 हो गई. 30,957 शिकायतों में से अधिकतम 9,710 गरिमा के साथ जीने के अधिकार से संबंधित थीं, जो महिलाओं के भावनात्मक शोषण को ध्यान में रखती हैं।[1]

पीटीआई को मिले राष्ट्रीय महिला आयोग के डेटा के मुताबिक, इसके बाद घरेलू हिंसा से संबंधित 6,970 और दहेज उत्पीड़न से संबंधित 4,600 हैं। लगभग 54.5 प्रतिशत (16,872) शिकायतें सबसे अधिक आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुईं[2]

दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट के अनुसार A.D.G. क्राइम डा0 रवि प्रकाश मेहरड़ा ने बताया कि महिला सुरक्षा से सम्बंधित अपराधो में वर्ष 2020 की तुलना में वर्ष 2021 में महिला अपराधो में मज़बूती आयी है जो निम्न प्रकार है-

क्रम	अपराध की प्रवृत्ति	2020 की तुलना में 2021 में वृद्धी
1.	दहेज़ हत्या का दुष्प्रेरण	4%
2.	महिला उत्पीडन में	24.16%
3.	शील भंग	20%
4.	छेड़खानी में	5%
5.	अपहरण में	27%
6.	कुल महिला अत्याचार	17.70%

यद्यपि दहेज़ मृत्यु के प्रकरणों में वर्ष 2020 की तुलना में वर्ष 2021 में 5.11% की कमी दर्ज की गयी है।[3]

2. Crime Against Women In 2023: राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) के अनुसार 2023 में महिला के खिलाफ 28,811 शिकायते प्राप्त हुआ। NCW के डाटा के अनुसार सबसे अधिक शिकायते स्त्रोयों की गरिमामय अधिकार की श्रेणी में प्राप्त हुआ, जिसमें घरेलू हिंसा और अन्य शोषण की संख्या 8,450 दर्ज की गयी थी। दहेज़ उत्पीड़न का 4,797, छेड़खानी की 2,349, स्त्रियों के प्रति पुलिस की उदासीनता 1,618 तथा बलात्कार एवं बलात्कार के प्रयास की 1,537 का मामला सामने आया था।[9]

महाराष्ट्र में 1,343, दिल्ली में 2,411 जबकि सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में 16,109 शिकायते पायी गयी। यद्यपि 2022 में 30,864 शिकायत की तुलना में 2023 में शिकायतों की संख्या में गिरावट दर्ज हुआ है परन्तु 2014 के बाद यह आकड़ा सर्वाधिक पाया गया था।[10]

3. Crime Against Women In 2024: नई दिल्ली राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) के अनुसार 2024 में महिलाओं के खिलाफ लगभग 25,743 शिकायतें प्राप्त हुआ था। इसमें घरेलू हिंसा 6,237 (24%), दहेज़ उत्पीडन की शिकायतों की संख्या 4,383 (17%) प्राप्त हुआ था। जबकि दहेज़ हत्या की गम्भीर शिकायतों की संख्या 292 दर्ज किया गया था।

यद्यपि 2024 की कूल मामलों में गिरावट देखी गयी, परन्तु ये आकड़ें कोविड से पहले के वर्षो की तुलना में अभी भी अधिक है। 2019 कूल मामले 19,730 देखे गये, जो 2020 में वृद्धि करके 23,722 हो गया। कोविड के समय 2021 और 2022 में ये मामले 30,000 से अधिक हो गए थे। 2023 में पहली बार इन मामलों में गिरावट पायी गयी है। यह एक अच्छा संकेत है जो सकारात्मक दृष्टिकोण को दिखा रहा है। यद्यपि संख्या की दृष्टिकोण पर अभी भी इसे कम नहीं कहा जा सकता है।[11] एक रिपोर्ट के अनुसार 2022-2024 के बीच बालिग महिलाओं के दुष्कर्म में 6.88% की कमी दर्ज किया गया है, तो वही पर इसी समय में नाबालिग लड़कियों के प्रति दुष्कर्म की घटनाओं में 10.12% की वृद्धि दर्ज की गयी है। जो हमारे समाज के लिए एक बहुत गंभीर विचारणीय मुद्दा है।[12]

5. महिला सुरक्षा किसे कहते है?

- स्त्रोयों की सुरक्षा से तात्पर्य है कि "स्त्रियों के प्रति सभी प्रकार के उत्पीड़न, हिंसा और दुर्भावना से मुक्त रखना, साथ ही इसमें स्त्रियों की मानसिक, शारीरिक, शोषण, यौनाचार और साइबर दुर्भावना से सुरक्षा आवश्यक रूप से सामिल है।"
- वर्तमान समाज को देखते हुए यह आवश्यक है कि "प्रत्येक स्त्रियों को सशक्त, आत्मनिर्भर बनने की ओर अग्रसर हो, जिससे वे अपनों तथा खुद भी कार्य करने में समर्थ हो सकें।"
- सामाजिक तथा आर्थिक दृष्टिकोण से स्त्रियों को जीने तथा देश में काम करने के लिए सुरक्षित वातावरण प्राप्त करने का अधिकार होना चाहिए। इस प्रक्रिया द्वारा समाज में स्त्रोयों को आत्म-सम्मान, समानता और स्वतंत्रता को प्रश्रय देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

6. स्त्रियों की सुरक्षा के प्रमुख तत्व-

- **साइबर क्राइम एवं आनलाइन उत्पीड़न**: वर्तमान युग डिजिटल युग है। इस समय साइबर क्राइम एक बहुत बड़ा खतरा बन चुका है। स्त्रोयों को सोशल मिडिया प्लेटफार्म पर मुख्य रूप से ट्रोलिंग, साइबर स्टॉकिंग और हैकिंग एवं वीडियो कलिंग के माध्यम से ट्रैप किया जाता है।

इसके लिए एक अत्यंत मजबूत साइबर क्राइम सुरक्षा के कानून को अपनाने की आवश्यकता है।

- **महिलाओं के प्रति यौनाचार एवं दुर्भावना:** महिलाओं के प्रति यौनाचार व दुर्भावना एक बहुत ही गंभीर समस्या है, जिसका स्त्रियों को अपने कार्यस्थलों, सामान्य तथा विशिष्ट सार्वजनिक स्थलों और यहाँ तक भी अनुभव किया गया है कि महिला अपने घर में भी असुरक्षित महसूस करती है। इसके लिए सामाजिक व पारिवारिक दृष्टिकोण में परिवर्तन हेतु कुछ विशिष्ट प्रयास एवं कठोर कानून की आवश्यकता है।
- **विद्यालयों तथा कालेजों मानव जनन शरीर रचना विज्ञान और योग के प्रति नकारात्मक सोच:** वर्तमान समय मानव जनन शरीर रचना विज्ञान, लैंगिक जनन तथा योग इत्यादि की शिक्षा अत्यधिक आवश्यक है, परन्तु हमारे समाज के अनेक लोगों में इसके प्रति एक नकारात्मक विचार है, उन्हें लगता है इससे उनकी प्रतिष्ठा और समाज इस शिक्षा से खराब हो जाएगा। जबकि वर्तमान समय में जागरूकता का अभाव होने से लोग अधिकतर गलत कदम उठा लेते है।
- **पारिवारिक हिंसा:** महिलाओं के प्रति हिंसा में पारिवारिक हिंसा बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यही हिंसा परिवार में शारीरिक, भावनात्मक, स्वास्थ्य और मानसिक प्रवृत्तियों की हो सकती है। महिला सम्बन्धी अपराध में घरेलू हिंसा अधिक पाया जाता है। भारत में होने वाले अधिकतर अपराध तथा अपराधियों का सम्बन्ध दूषित पारिवारिक पर्यावरण का ही परिणाम होता।
- **समाज में नैतिकता का अभाव:** वर्तमान समय में हमारे समाज में नैतिक मूल्यों की कमी पायी जाती हैं। समाज में नैतिकता के अभाव तथा कामोत्तेजना के प्रभाव से स्त्रियों के प्रति हिंसा करते है। अत: आवश्यक है कि एसी प्रवृत्ति के लोगों को कानून के दायरे में लाया जाय एवं योग इत्यादि में माध्यम से इन्द्रियों के ऊपर नियन्त्रण रखना सिखाया जाय।
- **अन्य मुद्दे:** भारत में महिला अपराध की प्रवृत्तियां लगातार बढ़ती जा रही है। यथा तेज़ाब फेकना, वेश्यावृत्ति, यौन हिंसा, दहेज़, शील भंग, भ्रूण हत्या, पारिवारिक हिंसा, शारीरिक शोषण, नौकरी देने के बहाने शोषण, दुसरे देश भेज देना, सोशल मीडिया पर मजाक बनाना इत्यादि जैसे अनेक अपराधो की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है।

7. स्त्रियों की सुरक्षा में समाज की भूमिका-

1. **पारिवारिक भूमिका:** परिवार स्त्रियों की सुरक्षा में महत्वपूर्ण योगदान प्रदान कर सकता है। परिवार अपनी बच्चियों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने, आत्म-सुरक्षा का प्रशिक्षण देने, आर्थिक व सामजिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने और शिक्षा के औवसर उपलब्ध कराने में अपनी भूमिका निभा सकते है। वही पर परिवार के बच्चों में महिलायों के प्रति सम्मान के दृष्टिकोण को उत्पन्न करने, नैतिक वैल्यू को विकसित करने और हीन भावनाओं पर नियन्त्रण रखने जैसे कार्यों को सीखने और सिखाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता हैं।
2. **समाज की भूमिका:** समाज का तात्पर्य ऐसे व्यक्तियों अथवा ऐसे लोगों से होता है, जो एक दुसरे से अपरचित होते है। जिनके व्यवहार व समाज की विविध घटनाओं से असुरक्षा का भाव उत्पन्न होता हैं। जरूरत है कि समाज के लोगों का विकास ऐसे हो की इन लोगों के दृष्टिकोण और स्वार्थ रहित व्यवहार इस प्रकार का हो की महिलाए तथा अन्य लोगों में असुरक्षा का भाव उत्पन्न हो सके। यद्यपि ऐसा तभी संभव है जब हमारे अन्दर "वसुधैव कुटुम्बकम" की भावना का संचार हो सकें। परन्तु हमारी यह बिडम्बना है कि "बाते तो हम बहुत अच्छी करते है पर हमारे अन्दर व्यक्तिगत स्वार्थ के अतिरिक्त कुछ नहीं होता हैं"।
3. **राजनैतिक भूमिका:** भारत की राजनीति व नौकरशाही के अफसरों में कुछ ऐसे लोग होते है, जो अपराधियों को प्रश्रय प्रदान करते है। जिसका परिणाम होता हैं कि महिलाओं तथा लोगों के प्रति बिना किसी दबाव के अपराध करते रहता है साथ राजनैतिक लोगों के द्वारा इनके अनौतिक कार्यो पर पर्दा डालने में सक्रिय हो जाते है। यहाँ पर यह आवश्यकता है कि हमारे राजनीतिक लोग इस प्रकार के कृत्यों में अपनी निरपेक्ष भूमिका का निर्वाह करें तथा जांच को प्रभावित न करें। एक सभ्य समाज के निर्माण में अपनी भूमिका को समझना तथा अपने दायित्यों और जवाबदेही पूर्वक कार्य करने की जरूरत हैं।
4. **शिक्षा की भूमिका और शिक्षा के प्रति जागरूकता:** भारत में संवैधानिक रूप से वर्तमान समय में "शिक्षा का अधिकार" प्राप्त हैं। भारत में वर्तमान समय में 75% (2011 के अनुसार 74.04%) से अधिक शिक्षित लोगों की संख्या हैं, परन्तु जब शिक्षा की गुणवत्ता की बात आती हैं तो यह पाया गया है कि "अनेक पढ़े-लिखे लोग ठगी के शिकार होते रहते है, साथ इन पढ़े लिखे लोगों की संकुचित सोच जो महिलायों के

प्रति देखी गयी है, उससे स्पष्ट है कि शिक्षा अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में असमर्थ हैं अर्थात शिक्षा में गुणवत्ता का अभाव हैं। अत: यह आवश्यक है कि "शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े लोग अपनी भूमिका को समझने का प्रयास करें तथा शिक्षा से एक अच्छे समाज के निमार्ण के उद्देश्यों को पूरा करने की अपनी भूमिका को ईमानदारी से निभाने में समर्थ हो"। महिलाओं में शिक्षा का स्तर वर्तमान समय में 65% (2011 के अनुसार 65.46%) से अधिक पर हैं। परन्तु दलित, आदिवासी, अति पिछड़ा वर्ग और कमजोर वर्ग की महिलायों की शैक्षिक स्थिति देश के औसत से काफी अधिक निचे है। अत: आवश्यक है कि शिक्षा के प्रति दलित, आदिवासी, अति पिछड़ा वर्ग और कमजोर वर्ग की महिलायों तथा इनके परिवार व समाज के लोगों को जागरूक किया जाय, जिससे महिलायों की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सकें।

5. **धार्मिक भूमिका:** स्त्रियों की प्रति हिंसा में धार्मिक रूप से व्याप्त अनेक कुरीतियाँ, अंधविश्वास, धार्मिक विचार धारा में विद्यमान संकीर्णता, अतार्किक आस्था, परिवार में पुत्र प्राप्ति की प्रबल इच्छा, शिक्षा का उद्देश्य मात्र धर्म ग्रन्थो के अध्ययन तक सीमित रखना तथा भूत आदि के कारण भी महिलायों के प्रति हिंसा में वृद्धि पाया जाता हैं। अनेक धर्म गुरू अपने दायित्यों को भूल कर इन सभी कृत्यों को बढाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अत: आवश्यक है कि धर्म गुरूओं को धर्म के उक्त समस्याओं पर ध्यान देना चाहिए तथा अपने दायित्वों को समझते हुए मूल धार्मिक प्रवृत्तियों को बढ़ाना चाहिए। जिससे धार्मिक रूप से महिलाओं पर होने वाले अत्याचार को कम किया जा सकें।

8. महिला सुरक्षा एवं संरक्षा को सुनिश्चित करने के संभावित उपाय-

हालांकि सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए तमाम कानून बना रखे हैं लेकिन इसके बावजूद कुछ ऐसे सुझाव हैं जो अमल में लाए जा सकते हैं। सबसे पहले तो महिला सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए तीन ई (Es) पर अधिकाधिक जोर दिए जाने की जरूरत है:-

- लड़कों को लैंगिक बराबरी के बारे में शिक्षा (Educating Boys on Gender Equality),
- लड़कियों को आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त बनाना (Empowering Girls Both Economically and Socially) और
- उन क़ानूनों का पालन किया जाना जो मौजूद हैं पर इस्तेमाल में नहीं लाए जाते (Enforcing the Laws That Exist and are not Implemented)।
- महिला सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार को प्रयास करना चाहिए कि मोबाइल कंपनियां सभी मोबाइल फोन में अब पैनिक बटन अनिवार्य करें ताकि महिलाएं इस बटन को दबाकर तुरन्त मदद मांग सकें। साथ ही, ये ध्यान रखा जाए कि सही समय पर उन तक मदद पहुंचे। हिमाचल प्रदेश और नागालैंड राज्यों में ये पहले ही शुरू हो चुका है।
- सरकार हर शहर में ऐसे स्थानों की पहचान करे जहां अपराध ज्यादा होते हैं। इन स्थानों पर सीसीटीवी की निगरानी बढ़ाई जानी चाहिए। प्रत्येक शहरों में स्व-चालित नम्बर प्लेट रीडिंग (ए.एन.पी.आर.) और ड्रोन आधारित निगरानी भी करने की व्यवस्था की जानी चाहिए।
- महिला पुलिसकर्मियों के द्वारा गश्त बढ़ाई जानी चाहिए। हर पुलिस स्टेशन में महिला सहायता डेस्क की स्थापना की जाए, इस पर एक प्रशिक्षित काउंसलर की सुविधा भी हो। फिलहाल जो आशा ज्योति केन्द्र या भरोसा केन्द्र चल रहे हैं उनमें विस्तार किया जाए।
- महिला सुरक्षा और लैंगिक संवेदनशीलता पर सामाजिक जागरूकता कार्यक्रम कराए जाएं।
- प्रत्येक ऑफिस में एक यौन उत्पीड़न शिकायत समिति बनाना उस ऑफ़िस के मालिक का कर्तव्य है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी एक दिशा-निर्देश के मुताबिक यह भी जरूरी है कि समिति का नेतृत्व एक महिला करे और सदस्यों के तौर पर उसमें पचास फीसदी महिलाएं ही शामिल हों।
- वास्तव में महिला सुरक्षा के लिए खुद महिला को भी सक्षम होना होगा। उसे हिम्मत, वीरता और साहस जैसे गुणों को अपना आभूषण बनाना होगा।
- बलात्कार की घटनाओं में कुछ हद तक कमी धीरे-धीरे लाई जा सकती है यदि हम महिला सशक्तिकरण के साथ-साथ पुरुष मानवीयकरण के लक्ष्य को भी सामने रखें। घर में पिता, पत्नी और बेटी का, बेटा, मां और बहन का सम्मान करे। बाहर किसी भी स्त्री को कोई भी पुरुष इंसान की तरह मानकर सम्मान करें। शायद यह महिलाओं को देवतुल्य बताने से ज्यादा बेहतर होगा।

9. निष्कर्ष-

वतर्मान में नारी सुरक्षा केवल भारत सरकार के कानून बनाने एवं पुलिस के जिम्मेदारी पूर्वक कार्य करने से संभव नहीं हो पायेगा। क्योंकि भारत में महिला सुरक्षा को लेकर अनेक बाधाएं उपस्थित है, यथा पारिवारिक समस्या, धार्मिक, राजनौतिक, शैक्षिक, सामाजिक समस्याए व महिलायों के प्रति विकृत मानसिकता से सम्बंधित बाधाओं को दूर कर के समाज में स्त्रियों को एक सुरक्षित तथा सम्मानजनक स्थिति की ओर ले जाया जा सकता हैं। हमें उक्त भयानक स्थिति से निपटने के लिए कानून के साथ-साथ अपने परिवार के बच्चों में बालिकाओं के साथ सभी के प्रति सम्मान करना सिखाना चाहिए। बच्चों को परिवार, समाज तथा स्कूलों में यह बताना जरूरी है कि महिलाए मात्र भोग-विलास की वस्तु नहीं है बल्कि उन्हें बराबरी का अधिकार तथा सर उठा कर सम्मान से जीने का अधिकार हैं। महिलाओं के प्रति हिंसा को रोकने के लिए बहुत ही कठोर कानून तथा उसके कठोर क्रियान्वयन की आवश्यकता है। क्योंकि हमारे देश के वर्तमान कानून का अपराधियों में कोई भय नहीं है। केस तो आते है परन्तु अधिक्तर मामलों में सबूत की कमी होती है और अपराधी छूट जाता है। साथ ही न्यायिक व्यवस्था अधिक समय लेता है, बहुत से अपराधी तो सजा होने से पहले ही अपनी उम्र पूरा कर लेते हैं। वर्तमान कानून का अपराधियों में कोई भय नहीं है, इसी का परिणाम है कि लगातार नये-नये प्रकार के अपराध लगातार सामने आ रहे।

(नियत और सोच अच्छी होनी चाहिए, बाते तो सभी अच्छी कर लेते है।)

10. Rifrence-

1. Asa Karlsson Sjögren, Åsa, *Männen, kvinnorna och rösträtten: medborgarskap och representation 1723–1866* [Men, women, and suffrage: citizenship and representation 1723–1866], Carlsson, Stockholm, 2006 (in Swedish).
2. ^ *"How Did the Vote Expand? New Jersey's Revolutionary Decade"*. *www.amrevmuseum.org. Retrieved August 16, 2024.*
3. https://www.pbs.org/wgbh/americanexperience/features/vote-not-all-women-gained-right-to-vote-in-1920/
4. https://hi.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%85%E0%A4%B0%E0%A5%81%E0%A4%A8%E0%A4%BE_%E0%A4%B6%E0%A4%BE%E0%A4%A8%E0%A4%AC%E0%A4%BE%E0%A4%97_%E0%A4%AE%E0%A4%BE%E0%A4%AE%E0%A4%B2%E0%A4%BE
5. "India joins select nations in legalising "passive euthanasia"". *The Hindu*. 7 March 2011. मूल से 11 March 2011 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 11 March 2011.
6. https://hi.wikipedia.org/wiki/2012_%E0%A4%A6%E0%A4%BF%E0%A4%B2%E0%A5%8D%E0%A4%B2%E0%A5%80_%E0%A4%B8%E0%A4%BE%E0%A4%AE%E0%A5%82%E0%A4%B9%E0%A4%BF%E0%A4%95_%E0%A4%AC%E0%A4%B2%E0%A4%BE%E0%A4%A4%E0%A5%8D%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B0_%E0%A4%AE%E0%A4%BE%E0%A4%AE%E0%A4%B2%E0%A4%BE
7. *Mandhana, Nikarika; Trivedi, Anjani (18 December 2012). "Indians Outraged by Account of Gang Rape on a Bus". The New York Times. Archived from the original on 30 December 2012. Retrieved 30 December 2012.*
8. https://navbharattimes.indiatimes.com/state/rajasthan/ajmer/rajasthan-beewar-bijaynagar-case-conspiracy-of-blackmailng-religion-conversion-dharm-parivartan-news/articleshow/118469531.cms
9. https://www.bbc.com/news/world-asia-india-62830634 13 सितम्बर 2022
10. https://www.indiatv.in/india/national/crime-against-women-in-the-year-2023-women-commission-of-india-gave-information-about-complaints-2024-01-01-1012581 1-1-2024

11. https://www.etvbharat.com/hi/!state/womens-day-2025-there-has-been-a-decline-in-the-number-of-violence-against-women-in-rajasthan-rajasthan-news-rjs25030800854 08-03-2025
12. https://navbharattimes.indiatimes.com/india/ncw-data-on-crimes-against-women-in-year-2024/articleshow/116877513.cms 2-1-2025